Aristotle's Theory of Revolution

1/

महान दार्शनिक अरस्तू बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। प्लेटो का शिष्य अरस्तू ने अपने दर्शन से यूनान की गरिमा को बढ़ाते हुए मानव ज्ञान को विस्तृत और व्यापक बनाने में पूर्ण योगदान किया। इसी कारण उसे 'सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता" "प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक", तर्कशास्त्र का जनक" माना जाता है। अपनी महान कृति Politics के Book V में क्रान्ति का विशद विश्लेषण किया है। अरस्तू ने अपने समय के नगर राज्यों के लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया और क्रान्ति के अर्थ, कारण, उपचार की सूक्ष्म विवेचना की। अरस्तू क्रान्ति का अर्थ संविधान में हर छोटे-बड़े परिवर्तनों से लेता है। उसके अनुसार क्रान्ति के निम्नलिखित दो हैं कारण हैं —

~~(1) आंशिक क्रान्ति और पूर्ण क्रान्ति — जब सम्पूर्ण संविधान में/बदलाव हो तो पूर्ण क्रान्ति और जब संविधान के किसी महत्वपूर्ण भाग में परिवर्तित हो तो आंशिक क्रान्ति।~~

(1) सामान्य कारण (ii) क्रान्ति के विशेष कारण —

→ सामान्य कारण — (a) असमानता — जब समाज या राज्य के अन्तर्गत लोगों में जाति-वर्ग या धन के आधार पर काफी असमानता रहती है तो ऐसी अवस्था में पिछड़ा वर्ग समान अधिकार क्रान्ति कर बैठता है। (b) अन्याय — जब राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तथा बौद्धिक क्षेत्र में अन्याय बढ़ता है तो पीड़ित वर्ग क्रान्ति कर बैठता है।

(2) क्रान्ति के विशेष कारण → (a) क्रान्ति में केवल अन्याय या असमानता का ही हाथ नहीं होता बल्कि कभी-कभी लाभ एवं सम्मान की इच्छा एवं योग्य व्यक्तियों का इससे वंचित रहना भी क्रान्ति का कारण बनता है। (b) शासकों की धृष्टता — यदि कोई शासक जनहित की उपेक्षा कर शासन करने लगे तो जनता विद्रोह कर बैठती है। (c) उत्कृष्टता के प्रति प्रेम गर्वता की भावना है। जब कोई वर्ग या शासक स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगे और राज्यसत्ता पर कब्जा कर ले तो आगे चलकर यह क्रान्ति को जन्म देता है। यही कारण (d) भय — अरस्तू का मत है कि कभी-कभी जनता भय से भी क्रान्ति कर बैठती है। (e) तिरस्कार → जब हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि अनेक राजाओं ने तिरस्कार के कारण विद्रोह किया। (f) राज्य के किसी विशेष वर्ग में असाधारण वृद्धि होने से भी क्रान्ति होती है। एथेंस का युद्ध इसी का परिणाम था। (g) चुनाव में होने वाले षड्यन्त्र भी क्रान्ति का कारण होता है (h) कभी-कभी अल्प परिवर्तनों की अवहेलना भी राज्य में क्रान्ति का कारण होता है (i) विभिन्न जातियों में अत्यधिक विभिन्नता होने से भी क्रान्ति होती है (j) राज्य में एकता का अभाव भी क्रान्ति का कारण है जैसे एथेंस (k) कभी-कभी राजाओं के बीच प्रणय सम्बन्धी झगड़े भी क्रान्ति का कारण होता है। सिराक्यूज में संविधान परिवर्तन के पीछे यही कारण था। इसके अलावा आर्थिक असमानता, मध्य वर्ग का अभाव, शक्ति, पक्षपात, विदेशियों का प्रभाव भी क्रान्ति का कारण होता है।

विशेष शासन पद्धतियों में क्रान्ति के विशेष कारण → अरस्तू ने पृथक रूप से विभिन्न प्रकार के संविधानों में होने वाले क्रान्तियों पर भी विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं → (1) प्रजातन्त्र में क्रान्ति — प्रजातन्त्र में क्रान्ति के मुख्य सूत्रधार भाषण कला के [illegible] वर्गों के द्वारा [illegible]

वर्ग के द्वारा किए गए अत्याचारों को जनता के सामने रखते हैं तथा अपनी (2) भाषणों से उन्हें भड़काते हैं और क्रान्ति के लिए उकसाते हैं।

(3) **धनिकतन्त्र में क्रान्ति** — धनिकतन्त्र में क्रान्ति के दो बड़े कारण हैं - प्रथम जनता के साथ बुरा व्यवहार तथा दूसरा शासक वर्ग के पारस्परिक झगड़े।

कुलीनतन्त्र में क्रान्ति — इसके क्रान्ति के कई कारण होते हैं जैसे - शासकों की संख्या बड़ी सीमित होती है। जनता में कुछ काल के बाद उनके प्रति रोष उत्पन्न हो जाता है। कुलीनतन्त्र में धनिकतन्त्र की का मिश्रण हो जाता है। अतः कुलीनतन्त्र शीघ्र ही धनिकतन्त्र का रूप धारण कर लेता है। वस्तुतः विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव विनाश का कारण होता है। (4) **एकतन्त्र या निरंकुशतन्त्र** → एकतन्त्र में भी शासक जब अन्याय की चरम सीमा तक पहुँच जाता है तो क्रान्ति हो जाती है। इस प्रकार अरस्तू ने सभी तन्त्रों के क्रान्ति के कारणों पर विस्तार रूप से वर्णन किया है।

क्रान्ति को रोकने के उपाय — अरस्तू ने क्रान्ति से बचने के उपायों की भी चर्चा की है। डनिंग के अनुसार - "अरस्तू क्रान्तियों को उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों की चर्चा के बाद उनको रोकने या इन क्रान्तियों से बचने वाले प्रभावशाली तरीकों की भी चर्चा की है।" मैक्सी का कहना है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रान्ति को रोकने का अरस्तू के उपायों के अतिरिक्त अन्य कोई नया उपाय बता सके।

क्रान्ति से बचने के उपायों को दो भागों में बाँट सकते हैं :—
(i) general means for preventing Revolution (ii) Means for preventing Revolution in particular system of government

(1) **सामान्य उपाय** — (1) **न्याय की व्यवस्था** - क्रान्ति का मूल कारण असमानता से उत्पन्न अन्याय की भावना है। अतः क्रान्ति रोकने के लिए आवश्यक है कि जनता के मन से अन्याय की भावना दूर की जाए। यह तभी सम्भव है, जब राज्य के सभी पदों पर योग्य नागरिकों को पहुँचने का अवसर मिले, जनता के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। तथा निर्धन जनता के साथ अनुचित व्यवहार न हो। (2) **शक्ति का विभाजन** - राज्य में किसी भी वर्ग के हाथ में अधिक शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए। शक्तियों के केन्द्रीयकरण से विद्रोह की सम्भावना बढ़ती है। (3) **विभिन्न वर्गों में सामंजस्य** :- राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य होना है। (4) **योग्य व्यक्तियों को सम्मान** - सभी वर्गों के योग्य लोगों को उचित पद तथा सम्मान प्राप्त होनी चाहिए। किसी एक वर्ग को सम्मान एवं पद देने से दूसरे वर्ग में असन्तोष पैदा होता है जो क्रान्ति को जन्म देता है (5) **सत्ता का उचित प्रयोग** → राज्य के शासक वर्ग के लोगों को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्रान्ति की सम्भावना बढ़ती है (6) **शिक्षा का महत्व** - उचित शिक्षा व्यवस्था द्वारा राज्य के नागरिकों में राज्य के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न की जा सकती है तथा उन्हें क्रान्ति के भीषण परिणामों से अवगत कराया जा सकता है। (7) **अनुपातिक समानता** :- कानूनों की दृष्टि से समस्त जनता समान होनी चाहिए। समस्त नागरिकों में यह विश्वास बना रहना चाहिए कि राज्य द्वारा उन्हें जो कुछ प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त है। अतः अवसर की समानता होनी चाहिए (8) **धन का समान वितरण** → अत्यन्त निर्धन वर्ग से समाज में असन्तोष पैदा होता है अतः राज्य द्वारा अत्यधिक आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए (9) **स्वास्थ्य मध्यम वर्ग** — समाज में क्रान्ति को रोकने के लिए तथा संतुलन स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य मध्यम वर्ग का होना आवश्यक है।

(10) राज्याधिकारियों की अवधि :- अरस्तू का विचार है कि शासकों तथा राज्याधिकारियों का दीर्घकाल तक सत्ता में बना रहना भी क्रान्ति का कारण है। अतः कार्यावधि कम होना चाहिए (11) जनता में देशभक्ति

(12) कानून की सर्वोच्चता → अरस्तू के विचारानुसार कानून अवहेलना किसी राज्य को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार थोड़ा थोड़ा अपव्यय से प्रचुर सम्पत्ति का भी विनाश हो जाता है। अतः जनता में कानून के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। (13) छोटे-छोटे परिवर्तनों के प्रति सजग रहना भी आवश्यक है अन्यथा कालान्तर में यही क्रान्ति का कारण होता है।

विशेष शासन पद्धतियों के लिए उपाय :- (i) मिश्रित उपाय — मिश्रित संविधान वाले राज्य में किसी भी छोटी छोटी घटना के परिवर्तनों को बड़ी सतर्कता एवं सजगता से देखनी चाहिए। (ii) कुलीनतन्त्र — कुलीनतन्त्र में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दलित वर्ग के साथ योग्य व्यवहार हो तथा विशेष वर्ग के आपस में बराबर का व्यवहार होना चाहिए। (iii) धनिकतन्त्र — इसमें गरीबों को भी राज्य कार्य में अवसर मिलना चाहिए। (iv) प्रजातन्त्र — इसमें धनवानों के साथ भी उदारता का व्यवहार होना चाहिए। (v) निरंकुश तन्त्र — निरंकुश शासक को गुप्तचर रखना चाहिए दूसरे बुद्धिमान लोगों को नहीं पनपने देना चाहिए।

परन्तु लोगों का मानना है कि अरस्तू क्रान्ति का प्रवक्ता नहीं विरोधी है; क्रान्तिकारी नहीं प्रतिक्रियावादी है, नवीनता का पुजारी नहीं, प्राचीनता का उपासक है, परिवर्तन का समर्थक नहीं यथास्थिति का हिमायती है। एक ओर तो उसने निरंकुशतन्त्र को निःकृष्टतम शासन की संज्ञा देकर उसकी घोर निन्दा की है. दूसरी ओर उसके स्थायित्व हेतु उसने सुझाव दिया है। ऐसा करके उसने अपनी यथार्थवादिता का परिचय दिया है। उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण पूर्णतः वास्तविक एवं व्यावहारिक है। उनका प्रयोग प्राचीन यूनानी नगर-राज्यों की व्यवस्था के लिए ही उपयोगी नहीं था वरन् वह आज की राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी उपयोगी है। मैक्सी ने ठीक ही कहा है कि, "क्रान्तियों को रोकने के जिन साधनों का प्रतिपादन अरस्तू ने किया है, क्या आधुनिक राजनीतिक-विज्ञान उससे अधिक कोई निश्चयात्मक साधन प्रस्तुत कर सकता है।"